

**FORM NO-III**फर्द अहकाम  
(नियम 26)#2019/00433<sup>1162</sup>  
01/07/19अज अदालत- अपीलीय अधि० एवं जिला कलक्टर मुकाम अजमेर  
रविन्द्र सिंह राठौड बनाम लोक सूचना अधि० एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर  
किस्म मुकदमा-सूचना का अधिकार अधि.-2005 प्रकरण संख्या 107 सन् 2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में
------------	-----------------------------------	---

17/12/194109-10  
23/12/19

पत्रावली पेश हुई। श्री तरुण अग्रवाल ने उपस्थित होकर अपीलान्त द्वारा जारी अधिकार पत्र प्रस्तुत कर अपील बाबत सुनवाई चाहने पर उन्हें सुना गया। सुनवाई दौरान श्री तरुण अग्रवाल द्वारा व्यक्त कथनों, लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर से प्राप्त टिप्पणी का अपील मीमो के अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्त/प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन बाबत सूचना/प्रत्युत्तर, पत्र दिनांक 12.09.2019 से प्रेषित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन के तहत वांछित सूचना का, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विवेचन कर नियमानुसार देय सूचना/प्रत्युत्तर अपीलान्त/प्रार्थी को 10 दिवस की अवधि में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। अपील, अपीलान्त इसी कदर से निस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।



23/12/19  
विश्व मोहन शर्मा  
जिला कलक्टर, अजमेर